

प्रेस-विज्ञप्तिथाना -तहबरपुरगिरफ्तार जिला बदर अपराधी बलिराम पुत्र मूलचन्द दास ग्राम मधेशिया सम्बन्धित मु0अ0सं068/19 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा0 नियंत्रण अधिनियम 1970

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रो. त्रिवेणी सिंह द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक-07.05.2019 को उ0नि0 उमेश चन्द यादव मय उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरक्षी सर्वेश कुमार शान्ति व्यवस्था में कस्बा तहबरपुर मे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की जिला बदर अपराधी बलिराम पुत्र मूलचन्द दास ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ जिला बदर होने के बाद भी लुक छिपकर अपने घर पर ही रह रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले ग्राम मधेशिया पहुँचाकर अभियुक्त के घर से समय 20:05 बजे गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति को मा0 न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन/अपर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश दिनांक 12.4.2019 को वाद सं0 - 00178/2019, कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D201915060000178 स्टेट बनाम बलिराम मे जिला बदर किया जा चुका है। अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही के बाद सम्बन्धित न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- बलिराम पुत्र मूलचन्द दास ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 उमेश चन्द यादव

उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा

रि0का0 सर्वेश कुमार

थाना -तरवाँ

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रो0 त्रिवेणी सिंह द्वारा चलाया जा रहा है वांछित / वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री कमलेश बहादुर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 7.5.2019 को थानाध्यक्ष श्री सै0 हुसैन मुन्तजर व उ0नि0 श्री अकील अहमद मय फोर्स द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्त 1-श्याम कन्हैया पुत्र राम लगन 2- उपेंद्र पुत्र रामानंद प्रजापति निवासी जगदीशपुर चौर थाना तरवाँ आजमगढ़ को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय रवाना किया गया।

तथा विभिन्न थानों से अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना मेहनगर द्वारा 04 नफर, देवगांव द्वारा 01 नफर, सरायमीर द्वारा 01 नफर, जीयनपुर द्वारा 01 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत चालान संबंधित न्यायालय किया गया।